हरियाणा में अवैध खनन कार्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खनन माफिया ने **नूंह ज़िले के घाटा शमशाबाद गाँव** में **अवैध खनन कार्य** के निरीक्षण के दौरान **हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के अधिकारियों को कथित रूप से घायल** कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- **घटना के बारे में:**
  - राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम को **पथराव में चोटें आईं** और वे बाल-बाल बच गईं।
  - पुलिस ने **भारतीय न्याय संहिता** और अन्य कानूनों के तहत 22 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज की।
- **अवैध खनन:**
  - **परिचय:**
    - अवैध खनन, सरकारी प्राधिकारियों से **आवश्यक परमिट, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन के बिना** भूमि या जल निकायों से खनिजों, अयस्कों या अन्य मूल्यवान संसाधनों का निष्कर्षण है।
    - इसमें पर्यावरण, श्रम और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन भी शामिल हो सकता है।
  - **समस्याएँ:**
    - **पर्यावरण का क्षरण:**
      - इससे वनों की कटाई, मृदा अपरदन, जल प्रदूषण हो सकता है तथा **वन्य जीवों के आवास नष्ट हो सकते हैं,** जिसके गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं।
    - **खतरे:**
      - अवैध खनन में प्रायः **पारा और साइनाइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है,** जो खनिकों और आस-पास के समुदायों के लिये **गंभीर स्वास्थ्य जोखिम** पैदा कर सकते हैं।
    - **राजस्व की हानि:**
      - इससे **सरकारों को राजस्व की हानि हो सकती है,** क्योंकि खननकर्त्ता उचित कर और रॉयल्टी का भुगतान नहीं करते हैं।
      - इसका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकता है, विशेषकर उन देशों में जहाँ प्राकृतिक संसाधन राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं।
    - **मानवाधिकार उल्लंघन:**
      - अवैध खनन के परिणामस्वरूप **मानव अधिकारों का उल्लंघन** भी हो सकता है, जिसमें जबरन श्रम, बाल श्रम और कमज़ोर आबादी का शोषण शामिल है।

//

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- **मॉब लिंचिंग:** मॉब लिंचिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्त्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरुप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रुप से हटा दी गई
- **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

अन्य संशोधन

- **फेक न्यूज़:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरुप जुर्माना)
- **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार परइसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरुप नहीं है।
- **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/illegal-mining-operation-in-haryana